दैनिक भास्कर
इंदौर 06-05-2026

शासन-प्रशासन

सरकारी कर्मचारी ब्रीफ

दैनिक वेतनभोगियों के लिए एरियर की मांग

भोपाल | नगर निगम और नगर पालिकाओं में काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी एवं सफाई कर्मचारियों को एरियर राशि के भुगतान की मांग को लेकर ''मध्य प्रदेश नगर निगम-नगर पालिका कर्मचारी संघ'' ने इंदौर में अपर श्रम आयुक्त निधि सिंह को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से बकाया एरियर न मिलने के कारण कर्मचारी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। अपर श्रम आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे सभी निकायों के आयुक्तों और मुख्य अधिकारियों को पत्र जारी कर एरियर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश देंगी।

आउटसोर्स कर्मियों को बोनस देने की मांग

भोपाल | आउटसोर्स संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई और अर्द्धशासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा ने कर्मचारियों को बोनस न मिलने पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी और अर्द्धशासकीय संस्थानों में मैनपावर सप्लाई करने वाली एजेंसियां श्रम विभाग के आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं। कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि नियमों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना देरी बोनस का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।

भोपाल एम्स में भी शुरू होगी सुविधा

मप्र में 17 जगहों पर श्रमिकों के लिए बन रहे 100 रैन बसेरे

भोपाल| मप्र में आवास के लिए परेशान श्रमिकों के लिए करीब 100 रैन बसेरे बनाने की तैयारी है। इनमें से 17 पर काम शुरू हो गया है। भोपाल के एम्स परिसर में एक रैन बसेरा बनाया जा रहा है। इसे श्रमिकों के साथ अन्य लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यह काम भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल द्वारा निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना 2026 के तहत किया जा रहा है। इसके दायरे में ऐसे श्रमिक आएंगे, जो बोर्ड में पंजीकृत हैं और उनके परिचय पत्र बन चुके हैं।

ये श्रमिक प्रदेश में जहां भी काम करने जाएंगे, विभाग के रैन बसेरों में न्यूनतम शुल्क देकर रह सकेंगे। बोर्ड की तरफ से इनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। ये रैन बसेरे मप्र के सभी इंडस्ट्री एरिया के पास नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इसके लिए नगर पालिका क्षेत्र में 50 लाख रुपए खर्च होंगे। नगर परिषद और नगर पंचायतों को 30 लाख रुपए तथा ग्राम पंचायतों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे।

मप्र के 17 स्थानों पर रैन बसेरे बनाने का काम शुरू हो गया है। बाकी स्थानों की तलाश है। भोपाल में एम्स के भीतर बनाया जाएगा। इन्हें एक ही पैटर्न पर बनाना है। श्रमिकों के साथ अन्य लोगों के रुकने की व्यवस्था भी यहां रहेगी। **रघुराज एम. आर, सचिव, श्रम विभाग**

कैबिनेट • बुनियादी विकास से जुड़े चार विभागों के 38 हजार 555 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मिशन वात्सल्य जारी रहेगा, 1500 आंगनवाड़ियों के नए भवन बनेंगे

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

प्रदेश में बेसहारा, अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा, पोषण और संरक्षण के लिए संचालित मिशन वात्सल्य योजना आगे भी यथावत जारी रहेगी। कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास के प्रस्ताव पर इस मिशन के लिए 606 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

गौरतलब है कि केंद्र-प्रायोजित इस योजना के जरिए बेसहारा बच्चों के पालन-पोषण के लिए मप्र सरकार4000 रुपए प्रति माह की आर्थिक देती है। प्रदेश में 1500 आंगनवाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधायुक्त भवनों के निर्माण के लिए 1,800 करोड़ मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को चार विभागों के 38,555 करोड़ रुपए के अलग प्रस्तावों और योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी है। इनमें बुनियादी ढांचे, खेती, किसान, महिला-बाल विकास और व्यापारिक हित से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

पीडब्ल्यूडी को बुनियादी ढांचा सुधारने मंजूर किए 32,405 करोड़

कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए लोक निर्माण विभाग को बड़ी सौगात देते हुए 32 हजार 405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें 24,300 करोड़ ग्रामीण सड़कों और जिला मार्गों को अपग्रेड करने के लिए रखे गए हैं। 6,150 करोड़ पुरानी सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए रखे हैं। सरकारी आवासों (F-टाइप एवं अन्य) की देखरेख के लिए 1,345 करोड़ और सड़क सुरक्षा के कामों के लिए 610 करोड़ की राशि दी गई है।

बांदीखेड़ी में नया आईटी क्लस्टर 2.0 बनाने 1295.52 करोड़ मंजूर...
कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को 1,295.52 करोड़ आवंटित किए। यह राशि ईएमसी 2.0 के तहत भोपाल के बांदीखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने पर खर्च होगी। 526 करोड़ सभी सरकारी कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) के लिए मंजूर किए हैं।

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन

कैबिनेट ने केंद्र सरकार के दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को मप्र में लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस मिशन पर अगले 5 वर्षों (2026 से 2031) में राज्य सरकार 2,442.04 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस बजट राशि को मंजूरी दे दी गई। इस मिशन के जरिए दलहनी फसल उगाने वाले किसानों को उन्नत नस्ल के बीच उपलब्धता कराए जाएंगे। इसके साथ ही दालों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों का विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए नई कमेटी, सीएस को कमान

भोपाल | म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 को जमीन पर सख्ती से उतारने के लिए राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है। एनजीटी के निर्देशों के बाद उठाए गए इस कदम के तहत अब मुख्य सचिव इस समिति की कमान संभालेंगे। समिति में नगरीय विकास, पंचायत, पर्यावरण, अक्षय ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के संचालकों को सदस्य-सचिव बनाया गया है। यह कमेटी पूरे प्रदेश में कचरा प्रबंधन के नियमों की निगरानी करेगी और क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर कराएगी।

जनसुनवाई: आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण, आर्थिक मदद दी

इंदौर | कलेक्टोरेट में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक बालिका माता-पिता के साथ पहुंची। उसकी दोनों किडनियों का इलाज होने पर वह कलेक्टर शिवम वर्मा का आभार जताने आई थी। जनसुनवाई के माध्यम से उसे पूर्ण उपचार मिला। कई लोगों को आर्थिक मदद भी दी गई। एक अन्य प्रकरण में नेहरू नगर क्षेत्र में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा आमजन को परेशान करने की जानकारी गत जनसुनवाई में कलेक्टर को दी। जिसके बाद उसे मानसिक चिकित्सालय भेजा गया और जनता को राहत मिली। इस पर आवेदक अजित रघुवंशी ने कलेक्टर का आभार व्यक्त किया। जनसुनवाई में प्लॉट, संपत्ति, पारिवारिक विवाद, चिकित्सा सहायता एवं रोजगार से जुड़े प्रकरण प्राप्त हुए। कई आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। इस दौरान सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पंवार, रोशन राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

निगम जनसुनवाई में 60 शिकायतें पहुंचीं

इंदौर | नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में 60 शिकायतें आईं। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने नागरिकों की समस्याएं सीधे सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में राजस्व, मार्केट, भवन अनुज्ञा, स्वास्थ्य, रिमूवल, सीवरेज और जनकार्य विभाग से जुड़े मामलों की शिकायतें सामने आईं। सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।

कटनी में प्रस्तावित डोलोमाइट खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति बहाल

जबलपुर| नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) भोपाल ने मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा कटनी जिले में प्रस्तावित डोलोमाइट खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया है।

न्यायिक सदस्य जस्टिस शियो कुमार सिंह एवं विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने एसईआईएए को पुनर्विचार के लिए मामला वापस भेज दिया है। एनजीटी ने एसईआईएए को एक माह के भीतर पुनः विचार कर रिपोर्ट देने तथा सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया। एम/एस यूनिवर्सल रिसोर्सेज ने यह अपील 25 अगस्त 2025 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें 1.777 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भदावर डोलोमाइट खदान परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति देने से इनकार कर दिया गया था।

॥ ओ३म् ॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही।।
श्रीमगवद्गीता २.२२

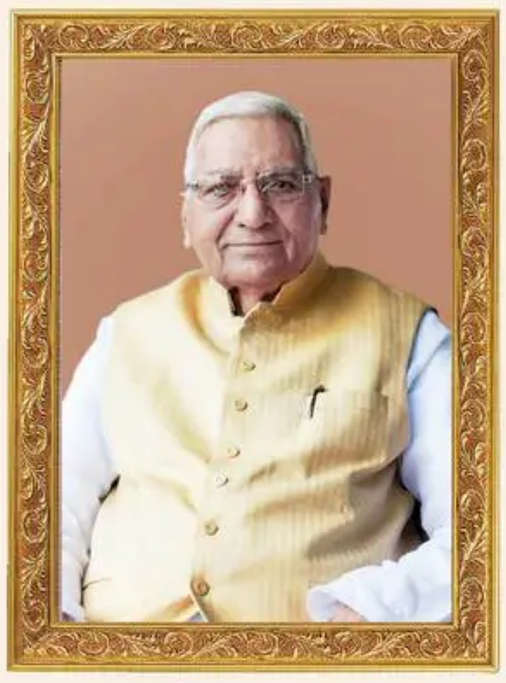

श्री दीनदयाल गुप्ता
[13.09.1937 - 02.05.2026]

बुझ गया एक मार्गदर्शक का प्रकाश,
पर वो अमूल्य विरासत जो आप अपने पीछे छोड़ गए हैं,
वो कभी मिट नहीं सकती।

सरल जीवन और उच्च विचार को
अपने जीवन का मूलमन्त्र बनाकर
एक सच्चे कर्मयोगी की तरह,
नेकी के मार्ग पर चलते हुए
आपने हर उस व्यक्ति में लाखों डॉलर की मुस्कान जगाई है
जिनकी ज़िनदगी को आपने छुआ है।

दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए,
हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं
और यही कामना करते हैं उनका आशीर्वाद
सदा हमारे मार्ग को प्रकाशित करे।

शोकाकुल
डॉलर परिवार

DOLLAR
WEAR THE CHANGE

जल संकट पर कांग्रेस ने निगम कार्यालय का घेराव किया

टैंकर कालाबाजारी और दूषित पानी का मुद्दा उठाया

भास्कर संवाददाता | इंदौर

इंदौर में बढ़ते जल संकट को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को ज्ञापन सौंपा। कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में पानी की कमी, दूषित जल सप्लाय और टैंकरों की कालाबाजारी जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस ने मांग की कि शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था को तुरंत सुधारा जाए और टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाए।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निजी टैंकर संचालक मनमाने दाम वसूल रहे हैं। पहले 400-500 रुपए में मिलने वाला टैंकर अब 1000 से 1500 रुपए में बेचा जा रहा है। निगम के हाइड्रेंट से पानी भरकर निजी टैंकरों द्वारा बेचने का भी आरोप लगाया गया, जिससे पानी अब जरूरत नहीं बल्कि कारोबार बन गया है। इस दौरान प्रदेश राज्य विकास केंद्र के महामंत्री यशपाल गहलोत, सुनील सिंह अवधिया, अलंकार रायकवार, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शैलू सेन, विशाल चतुर्वेदी, गिरीश जोशी, दानिश खान मौजूद थे।

खरीदी केंद्र पहुंचे सीएम, ट्रॉली में देखा गेहूं

उज्जैन| मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को अचानक उज्जैन पहुंचे और सेवा सहकारी संस्था दताना व सुरजनवासा के ग्राम मानपुरा स्थित उपार्जन केंद्र एग्रो स्टील साइलो पर गेहूं खरीदी व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से संवाद कर उपार्जन प्रक्रिया की स्थिति जानी। मुख्यमंत्री खुद ट्रैक्टर-ट्रॉली पर चढ़कर गेहूं की गुणवत्ता भी देखी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उपज की तौल पारदर्शिता से हो और भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए।

पालीवाल बने भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक

इंदौर | भारतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश में संगठनात्मक नियुक्तियों के तहत महेश पालीवाल को शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार की गई है। पालीवाल पीएचडी, एमबीए, एमसीएम, बीएड व बीएससी शिक्षित हैं और होलकर साइंस कॉलेज सेअध्ययन कर चुके हैं। वे एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रह चुके हैं।

दैनिक भास्कर
सच्ची बात, बेधड़क

घर खरीदने से पहले सावधान!
वरना बढ़ सकते हैं कानूनी झंझट

घर खरीदना

जिंदगी का बड़ा सपना होता है, लेकिन छोटी सी लापरवाही भविष्य में लंबे कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए डील फाइनल करने से पहले इन बातों को गंभीरता से जांच लें

विक्रेता असली मालिक है या नहीं?
सिर्फ बातों पर भरोसा न करें। पिछले सभी डॉक्यूमेंट्स, सेल डीड और रजिस्ट्री रिकॉर्ड की पूरी जांच कराएं।

विरासत वाली प्रॉपर्टी है?
तो सभी परिवारजनों की लिखित NOC अवश्य लें, वरना बाद में कोई भी दावा कर सकता है।

कहीं लोन या कानूनी क्लेम तो नहीं?
एन्कम्बेंस सर्टिफिकेट निकलवाकर यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति किसी बैंक या तीसरे पक्ष के कब्जे में तो नहीं।

मास्टर प्लान में जमीन का लैंड यूज सही है?
नगर नियोजन विभाग से पुष्टि कर लें कि जमीन रेजिडेंशियल उपयोग के लिए वैध है।

कृषि भूमि पर निर्माण?
कन्वर्शन ऑर्डर के बिना एक कदम भी आगे न बढ़ाएं, वरना निर्माण अवैध माना जा सकता है।

अपार्टमेंट खरीद रहे हैं?
बिल्डर के सभी अप्रूवल और RERA रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जरूर जांच लें।

डील प्राइस DLC रेट के अनुरूप है?
स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पूरी पारदर्शिता से कराएं, ताकि भविष्य में कोई टैक्स विवाद न हो।

"मैंने न्यायालय में सैकड़ों सम्पत्ति विवाद देखे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ - सम्पत्ति खरीदना केवल मूल्य या लोकेशन नहीं, बल्कि पूर्ण कानूनी सुरक्षा का विषय है।"
- महेंद्र शर्मा
सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश व पूर्व अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता आयोग, झुंझुनूं

इसलिए चुनें दैनिक भास्कर
जहां 'आम सूचना' प्रकाशित कर आप अपनी प्रॉपर्टी को बनाते हैं रिस्क-फ्री और विवाद-मुक्त।

ऑनलाइन विज्ञापन बुकिंग BhaskarAd.com | कॉल 97720 19222

Bank of India
रिश्तों की जमापूंजी
Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं. 134, एम.आर.-10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर - 452010, फोन 2445122-117-147

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 26.05.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 26.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा एआरबी इन्दौर	**श्री आतिश सेलार पिता हनुमंत राव सेलार (उधारकर्ता), पता :** - 26/4 वार्ड नंबर 1 नर्मदा कॉलोनी, नर्मदा मार्ग, खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) 455336 **श्रीमती श्वेता सेलार पति आतिश सेलार (सह-उधारकर्ता), पता :** - 26/4 वार्ड नंबर 1 नर्मदा कॉलोनी, नर्मदा मार्ग, खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) 455336	आवासीय संपत्ति के सभी प्रमुख अंश व भू भाग भूमि एवं भवन, हाउस नं. 96, सर्वे नं. 338/3/1, पीएच नं. 37, वार्ड नं. 6, कन्नौद रोड, खातेगांव, जिला, देवास, म.प्र. में स्थित, **प्लॉट क्षेत्रफल 167.28 वर्ग मीटर, मालिक श्री आतिश सेलार पिता हनुमंत राव सेलार, चतुर्सीमा : पूर्व** में श्रीमती द्वारका बाई का मकान, **पश्चिम** में श्रीमती तारा बाई जोशी का मकान, **उत्तर** में बाबूलाल का मकान, **दक्षिण** में इंदौर-हरदा रोड	06.04.2024 ₹60,81,482.45 + ब्याज एवं अन्य खर्च	12.12.2025 भौतिक	₹ 61.20 लाख	₹ 6.12 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तों की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।
ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।
बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।
सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।
डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।
इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 06.05.2026, स्थानः इन्दौर
प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया